महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.12.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 24.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 24.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने एक नफऱ वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक मामलों को अंजाम देने वाले व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 24.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ, श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह मय हमराह कां0 रोहित लोधी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के ग्राम ब्यारजो से मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1 महोबा द्वारा केश नं0 03/22 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना एपीटी महोबा के तहत निर्गत गिरफ्तारी वारंट के क्रम में एक नफऱ वारण्टी अभियुक्त ज्ञानी पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - ज्ञानी पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. कां0 रोहित लोधी

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 24.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराह हे0कां0 रामकरन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मइयादीन उम्र करीब 48 वर्ष नि0मु0 अम्बेडकर नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के पहरा मोड़ कानपुर रोड वहद कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की थैले से 22 क्वार्टर देशी शराब झूम नाजायज बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 388/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह
2. हे0कां0 रामकरन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मइयादीन उम्र करीब 48 वर्ष नि0मु0 अम्बेडकर नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैले से 22 क्वार्टर देशी शराब झूम नाजायज बरामद होना।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने नाबालिग का उत्पीडन करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 24.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक, श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई म0उ0नि0 निकिता शुक्ला मय हमराह हे0का0 शिवदयाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0स0 283/24 धारा 75(2)/331(4)/351(2) बीएनएस व 8 पाक्सो एक्ट में नामित 01 नफर वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ अब्बू पुत्र सुखलाल उर्फ कल्लू उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के सूरा चौकी क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभिषेक उर्फ अब्बू पुत्र सुखलाल उर्फ कल्लू उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 निकिता शुक्ला
2. हे0का0 शिवदयाल

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने गोदाम से मूंगफली से भरे 15 बोरों की चोरी करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गोदाम से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की हुई शतप्रतिशत सम्पत्ति (मूंगफली) की गई बरामद-

दिनांक- 21/22.12.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत पचपहरा के पीसीएफ गोदाम से अज्ञात चोरों द्वारा मूगफली से भरे हुए बोरे चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में पीसीएफ पचपहरा प्रभारी श्री मनोज कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में दिनांक- 22.12.2024 को मु.अ.सं. 675/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा मूगफली के गोदाम से हुई चोरी की घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा, चौकी प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटित घटना के सफल अनावरण के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मूंगफली गोदाम से हुई चोरी के संबंध मे पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 नफऱ अभियुक्तगण क्रमशः 1.संदीप राजपूत उर्फ चूहा पुत्र भानसिंह उम्र 25 वर्ष 2.उमेश राजपूत पुत्र करन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष 3.निर्दोष राजपूत पुत्र गुलाब सिंह उम्र 28 वर्ष 4.लाल सिंह यादव पुत्र जगत सिंह उम्र करीब 24 वर्ष समस्त निवासी ग्राम चन्द्रपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा को पीसीएफ गोदाम के पीछे से हिरासत में लिया गया इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से उक्त मुकदमें से सम्बन्धित सम्बन्धित चोरी के 15 अदद जूट के बोरे जिनमें मूँगफली के भरी हुई थी को बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी** की गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. संदीप राजपूत उर्फ चूहा पुत्र भानसिंह उम्र 25 वर्ष
2. उमेश राजपूत पुत्र करन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष
3. निर्दोष राजपूत पुत्र गुलाब सिंह उम्र 28 वर्ष
4. लाल सिंह यादव पुत्र जगत सिंह उम्र करीब 24 वर्ष

समस्त नि.ग्रा. चन्द्रपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

माल बरामदगी.... 15 अदद मूँगफली के भरे जूट के बोरे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा, चौकी प्रभारी सुभाष, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 उपेन्द्र सिंह 3. कां. आशीष पाल 4. कां. संदीप यादव 5. कां. चन्दन पांचाल